

न्यायालय अपर सिविल जज (सी० डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवबन्द, सहारनपुर।
उपस्थिति- परविन्दर सिंह (उ०प्र० न्यायिक सेवा) आई०डी०- UP 2500
वाद संख्या- 83 /2022

मदनलाल आदि

बनाम

श्रीमति दर्शन आदि।

18-11-2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय अधिवक्ता अनुपस्थित। वादीगण द्वारा कोई भी स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त वाद में उभयपक्ष लम्बे समय से गैर हाजिर चले आ रहे हैं। वादीगण के आचरण से पता चलता है कि वह उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। उक्त वाद को अनिश्चित काल तक लंबित रखना विधिसंगत व न्यायोचित नहीं है। वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में अंतर्गत आदेश 9 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

उक्त वाद उभयपक्ष की अनुपस्थिति में अंतर्गत आदेश 9 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। कार्यालयी लिपिक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करे।

परविन्दर सिंह (UP 2500)
अपर सिविल जज (सी० डि०)/ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवबन्द, सहारनपुर।